सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
तिरुच्चिराप्पल्लि
02 APR 2019
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
TIRUCHIRAPPALLI-1

07864

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI– 620 001
दूरभाष / फैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

C. No. VIII/09/04/2017-सीशु नीति अं फा ।। दिनांक: 22.03.2019

सार्वजनिक सूचना सं. 05/2019

विषय : *तुरंत सीमा शुल्क* - व्यापार करने में सुगमता के लिए अगली पीढ़ी सुधार - के बारे में ।

सभी निर्यातकों/आयातकों, सीमा शुल्क दलालों, व्यापार समूह के सदस्यों, एवं सभी संबंधितों का ध्यान अगली पीढ़ी सुधार, जिसको *तुरंत सीमा शुल्क* का उपयुक्त नाम दिया गया है, आरंभ करनेवाले बोर्ड के परिपत्र सं 09/2019-सीशु दिनांक 28.02.2019 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

2. जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत अब 88 रैंक पर है जो कि 2018 के 146 से 66 रैंक की बहुत बडी छलांग है । सीबीआइसी द्वारा आरंभ किए गए कई सुधार उपायों के कारण ही यह काफी हद तक संभव हुआ है, जो अन्य बातों के साथ साथ स्विफ्ट, ई-संचित, डीपीडी, संशोधित एईओ कार्यक्रम, आरएफआइडी ई-सील कार्यक्रम, आदि है जो विभिन्न सीमा शुल्क पत्तनों में निकासी में समय और लागत को कम करते हैं । सरकार का अगला लक्ष्य इस श्रेणी में ईओडीबी रैंकिंग में शीर्ष 50 में होना है और इस दिशा में प्रयास सीबीआइसी के नेतृत्व में अगली पीढ़ी सुधार, जिसको *तुरंत सीमा शुल्क* का उपयुक्त नाम दिया गया है, आरंभ करके किया जा रहा है । यह सुधार आनेवाले कुछेक मासों में समय समय पर कार्यान्वयन किए जानेवाले कई सिद्धांतों का समेकित पैकेज है ।

3. इस संबंध में आपका ध्यान आगम पत्र <u>(इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा और कागज रहित प्रसंस्करण) नियमावली, 2018</u> की ओर आकर्षित किया जाता है जिससे आयातक या उनके प्राधिकृत व्यक्ति को सीमा शुल्क ऑटोमेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा (आगम पत्र) और समर्थक दस्तावेज को डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर इन्दराज करने की अपेक्षा की जाती है । तदनुसार, अब, इन नियमों को आगे बढाते हुए वर्तमान में समर्थक कागजात को ई-संचित का इस्तेमाल करके *आइसगेट वेब पोर्टल* से अपलोड किया जाता है (परिपत्र सं 40/2017-सीमा शुल्क दिनांक 13.10.2017 और अनुदेश सं 02/2018 सीमा शुल्क दिनांक 07.02.2018 का संदर्भ लें)। यह स्वत: पंजीकरण सीमा शुल्क अधिकारियों को अन्य मुख्य काम को निपटने के लिए मुक्त करने के साथ साथ निकासी समय को और कम करेगा ।

4. सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया में आरंभ किया जा रहा एक व्यापार सरलीकरण सुविधा है सीमा

उपयुक्त अधिकारी सिस्टम में संबंधित आगम पत्र के लिए सीसीवी के समापन को पुष्ट करेगा । तत्पश्चात्, आयातकर्ता द्वारा ड्यूटी की अदायगी पर, सीमा शुल्क आटोमेटेड सिस्टम, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47(1) के पहले परंतुक में प्रावधान किए अनुसार, आगम पत्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरन्स देगी ।

5. यह नोट किया जाना है कि सीसीवी के बाद क्लियरन्स प्रदान करने के आइसीईएस 1.5 के उपरोक्त नए लक्षण जारी रहेगा बशर्ते कि आरएमएस से पाबंदी, राजस्व आसूचना निदेशालय जैसे ऐजेंसियों से अलर्ट और अन्य लोकल आकस्मिकताएँ, जो कि पहले से आइसीईएस 1.5 के अंतर्निहित जांच के अंश है । ओओसी साधारणतया सिस्टम द्वारा, न कि अधिकारी द्वारा दिये जाने को ध्यान में लेते हुए, पैरा 4 में उल्लिखित सिस्टम द्वारा रोके गए आगम पत्र, इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लियरन्स के क्यू से हटाया जाएगा ।

6. इसके अलावा , सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47(1) के अधीन निर्धारण और ड्यूटी की अदायगी के बाद आयातित माल के क्लियरन्स के लिए आइसीईएस 1.5 में मुख्य परिवर्तन किए गए हैं । आइसीईएस 1.5 में क्लियरन्स देने के लिए तैयार, पूर्ण रूप से मशीनीकृत आगम पत्रों के क्यू को उपयुक्त अधिकारी अब पहूँच पाएँगे जिससे क्लियरन्स मांगते हुए आयातकर्ता/ प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिकारी को आगम पत्र की संख्या और तारीख को पेश करने की आवश्यकता को अनावश्यक बना देता है । इस मशीनीकृत क्यू में क्लियरन्स के लिए तैयार आगम पत्र के आधार पर उपयुक्त अधिकारी सिस्टम पर सीधे और तत्काल क्लियरन्स दे सकते हैं । माल जो ऐसे क्लियरन्स के लिए ही रुके पडे हैं उनके प्रवास समय (dwell time) को कम करने के साथ साथ, यह व्यापार और विभागीय कार्मिक के साथ के इंटरफेस को कम करेगा, जो दोनों तरफ के लिए लाभदायक होगा ।

7. जोखिम प्रबंधन सिस्टम द्वारा पूर्ण रूप से सुकर बनाए आगम पत्र भी उपयुक्त अधिकारी को आयातकर्ता द्वारा उपरोक्त पैरा 3 में स्पष्ट किए अनुसार पंजीकरण पूरा करने पर क्लियरन्स देने हेतु अपने आप पहूँच जाएगा । क्षेत्रीय फार्मेशनों को उक्त प्रयोजन के लिए अधिकारियों को मेप करना होगा।

8. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में कोई भी कठिनाई, अगर हो तो, इस कार्यालय के ध्यान में लाया जाए ।

अशोक

(अशोक)
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि ।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी मंडल, एअर कार्गो/आइसीडी/सीएफएस ।
2. ईडीआइ अनुभाग, मुख्यालय, तिरुच्चि (तिरुच्चि सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के वेबसाइट पर